

# यू० पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

CIN :U15209UP1976SGC004285



ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु आवेदन फार्म एवं डाक्यूमेंट

गोमती बैराज, बांया तट गोमती नगर, लखनऊ—206010

Website : [www.upprojects.org](http://www.upprojects.org)

On a non judicial stamp paper of Rs 100/-

प्रारूप-2

## यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड

### शपथ-पत्र

मैं.....निवासी.....  
शपथपूर्वक बयान करता हूँ -

1. यह कि शपथी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।
2. यह कि शपथी की फर्म का नाम.....है।
3. यह कि मेरा पंजीकरण यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 में ठेकेदारी हेतु श्रेणी-..... में पत्रांक.....  
.....दिनांक..... द्वारा जारी किया गया।
4. यह कि पंजीकरण के उपरान्त मेरे द्वारा यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के अधीन कार्यरत किसी भी  
इकाई में कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया और न ही वर्तमान में कराया जा रहा है।

दिनांक—  
शपथी

मैं..... प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त बिन्दु सं0 01 से 04 तक दी गयी सूचना सत्य है। भविष्य में यदि उपरोक्त सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरा पंजीकरण निरस्त कर मेरे द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि को जब्त कर ली जाये।

शपथी

**Note: This Affidavit should be notarized.**

## यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

### नवीनीकरण हेतु प्रारूप

क्रम सं0	कार्य का नाम	फर्म का नाम	प्रोपराइटर/ पार्टनर के नाम	आवंटित कार्य की समय-सीमा	फर्म द्वारा कार्य पूर्ण करने में लिया गया वास्वविक समय	एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के सत्यापन की स्थिति	यदि कार्य निर्धारित अवधि से अधिक समय में पूर्ण किये गये तो उस पर लगायी गयी पेनाल्टी	अद्यतन तिथि तक जमा किया गया जी0एस0टी0	कार्य की गुणवत्ता की जिला/मण्डल/इ ग्रासन स्तर से जाँच की आख्या में उठाये गये तथ्य	फर्म के पास उपलब्ध टी0एण्ड पी0 का सत्यापन	फर्म द्वारा रखे गये स्टाफ का सत्यापन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## कारपोरेशन में ठेकेदारी हेतु ऑनलाइन नवीनीकरण के पंजीकरण हेतु नियम व शर्तें

1. यह कि ठेकेदार/फर्म द्वारा पंजीकरण नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. यह कि ठेकेदार/फर्म द्वारा पुराने पंजीकरण की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. यह कि ठेकेदार/फर्म को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।  
(नोट—यदि फर्म साझेदारी/कम्पनी है तो सभी साझेदारों/निदेशकों के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगा)
4. यह कि ठेकेदार/फर्म को जिलाधिकारी/बैंक द्वारा जारी वैध हैसियत प्रमाण पत्र श्रेणी वार निम्नानुसार प्रस्तुत कराना होगा।  
श्रेणी—ए                      रू0 125 लाख  
श्रेणी—बी                      रू0 50 लाख  
श्रेणी—सी रू0 12.50 लाख  
श्रेणी—डी                      रू0 6.50 लाख
5. यह कि ठेकेदार/फर्म द्वारा पंजीकरण के उपरान्त सम्पादित किये गये कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। यदि कोई हो।
6. यह कि ठेकेदार/फर्म द्वारा कारपोरेशन में किये गये कार्य/कार्यो का सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक से प्रारूप—1 अनुसार विवरण, संस्तुति पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा। (नोट—ठेकेदार/फर्म द्वारा कारपोरेशन में पंजीकरण के उपरान्त कोई कार्य नहीं किये जाने की दशा में रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र प्रारूप—2 अनुसार देना होगा)
7. यह कि ठेकेदार/फर्म को श्रेणी अनुसार पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के पक्ष में देय हो निम्नानुसार जमा करना होगा।  
श्रेणी—ए                      रू0 10000.00+जीएसटी  
(18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हो)  
श्रेणी—बी                      रू0 8000.00+जीएसटी  
(18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हो)  
श्रेणी—सी रू0 7000.00+जीएसटी  
(18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हो)  
श्रेणी—डी                      रू0 5000.00+जीएसटी  
(18 प्रतिशत अथवा जैसा लागू हो)
8. यह कि ठेकेदार/फर्म द्वारा अद्यतन जी0एस0टी0आर0—1 एवं जी0एस0टी0आर03बी0 प्रस्तुत करना होगा।